# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | 456/2019 श्योजीराम / सरकार<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1. | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 15/3/21 | आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि तहसीलदार कोटखावदा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया कि मुताबिक़ पटवारी हल्का बापूगाँव स्थित आराजी ख.न. 555 रकबा 0.55 हैक्टेयर व ख.न. 558 रकबा 0.73 हैक्टेयर जो कि कृषि भूमि है को अप्रार्थी/अपीलान्ट्स द्वारा बगैर संपरिवर्तन कराये अकृषि प्रयोग में लिया जा रहा है, अत: अप्रार्थी/अपीलान्ट्स की उक्त सन्दर्भित आराजी से खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर सिवायचक सरकारी घोषित किया जावे तथा अप्रार्थी को वेदखल कर सन्दर्भित आराजी को कब्जेराज में लेने के आदेश प्रदान किये जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 15/05/2018 के द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये प्रश्नगत आराजी से अप्रार्थी/अपीलान्ट्स के खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुये प्रश्नगत आराजी को सिवायचक दर्ज किये जाने एवं अप्रार्थी/अपीलान्ट्स को बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश विरुद्ध यह अपील अप्रार्थी/अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत की गयी है, जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी।<br><br>अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस के प्रारम्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओ की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में अप्रार्थी/अपीलान्ट्स को नोटिस जारी करने हेतु दिनांक 10/08/2016 से निरन्तर 22/02/2018 तक तारीखे दी गयी किन्तु कार्यालय से अप्रार्थी/अपीलान्ट्स के विरुद्ध कोई नोटिस जारी नही किया गया। दिनांक 14/05/2018 की आदेशिका में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित किया गया कि पत्रावली कैम्प बापूगाँव में पेश हुई, पैरोकार सरकार उपस्थित है, रिपोर्ट पेश हुई जो सलग्न है, बहस पैरोकार सरकार सुनी गयी, वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक | |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

परिशिष्ट

446/2019 राधेजीराम / सरकार

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 2, | |

15/05/2018 को पेश हो, एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15/05/2018 के आदेश के जरिये तहसीलदार कोटखावदा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 177 RTACT स्वीकार करते हुये अप्रार्थी/अपीलान्ट्स की खातेदारी की आराजीयात से उसके खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाने एवं आराजी की किस्म सिवायचक घोषित किये जाने व बेदखली के आदेश पारित करते हुये अप्रार्थी/अपीलान्ट्स की खाते की आराजीयात को कब्जेराज में लेने के आदेश दिये गये जो आदेश स्पष्ट रूप से एकपक्षीय आदेश है | इस सन्दर्भ में अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण पत्रावली की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर कही भी अप्रार्थी/अपीलान्ट्स को नोटिस जारी करने का प्रमाण नही है, न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अप्रार्थी/अपीलान्ट्स के नोटिस बाद तामिल या अदम तामिल प्राप्त हुये सलग्न है जिससे स्पष्ट रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बगैर सुनवाई का अवसर दिये एवं बगैर सुचना दिये आदेश जैर अपील पारित किया गया है | अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में यह भी निवेदन किया कि अपील अपीलार्थी द्वारा मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जो निर्णय जैर अपील की जानकारी के अभाव में मियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है, अपीलार्थी को आदेश जैर अपील की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 06/08/2019 को पटवारी हल्का द्वारा हुई, जिस पर अपीलार्थी द्वारा नकल प्राप्त कर जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गयी है | अभिभाषक अपीलार्थी ने बहस में अपील के साथ प्रस्तुत तहसीलदार चाकसू द्वारा निर्धारित कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ रुपान्तरण का जाँच प्रमाण पत्र की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया कि अप्रार्थी द्वारा रुपान्तरण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिस पर तहसीलदार द्वारा रिपोर्ट की जाने के पश्चात अप्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा चालान संख्या 47 दिनांक 12/06/2000 से रुपान्तरण हेतु निर्धारित राशि 92500/- रूपये राजकोष में जमा भी करवा दिये गये , जिसके अनुसरण में कार्यालय विहित अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर (मोहर)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | 446/2019 श्योजीराम / सरकार — हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

3

चाकसू) ने अपने आदेश क्रमांक 2822 दिनांक 03/07/2012 के द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी की आराजीयात को कृषि से अकृषि कार्य हेतु संपरिवर्तन आदेश भी पारित कर दिये गये तत्तपश्चात तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 177 RTACT प्रस्तुत किया जाना कानून विरुद्ध था, अप्रार्थी/अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुचना नही दिये जाने से सन्दर्भित समस्त साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही कर सका जबकी अप्रार्थी की खाते की आराजीयात का संपरिवर्तन हो चूका है, अत: अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाया जावे।

अभिभाषक राजकीय पैरोकार ने बहस में मात्र यही निवेदन किया कि अप्रार्थी/अपीलान्ट्स को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध की जा रही समस्त कार्यवाही की जानकारी प्रारम्भ से ही थी किन्तु वह जानकारी होते हुये भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ अब चूँकी अपीलार्थी द्वारा अपील एक वर्ष चार माह के लगभग देरी से प्रस्तुत की गयी हैं जिसका लाभ अपीलार्थी को नही दिया जावे एवं अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावलीयो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी/अपीलान्ट्स को तलबी जारी किये जाने हेतु आदेश तो दिये गये किन्तु तलबी किया जाना प्रमाणित नही होता है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र पैरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अपीलार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय आदेश जैर अपील पारित किया गया है, जो विधि के प्रावधानों के विरुद्ध होने से न्यायसंगत नही है। जिससे अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत होना शुमार किया जाता है। इसके अतिरिक्त अपील के साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

# राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

| तारीख हुक्म | 546/2019 श्योजीराम / सरकार<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 5. | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

संपरिवर्तन आदेश कि प्रति भी प्रस्तुत की गयी है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश त्रुटीपूर्ण प्रतीत होता है चूँकि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत नही कर सका था एवं सन्दर्भित दस्तावेजात भी प्रस्तुत नही कर सका था। अत: न्यायहित में यह उचित समझा जाता है कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे एवं अधीनस्थ न्यायालय प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का पुन: विधिसम्मत निस्तारण करे।

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15/05/2018 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुन: विधिसम्मत निस्तारण किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक15/03/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर) 15/03/21

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर